कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फैक्स : (07282) 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 9574 खरगोन , दिनांक - 20-12-22

प्रति,

उप वनमण्डलाधिकारी,
भीकनगांव

विषयः– 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला महेन्द्र फाल्या, दामखेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबद्। प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/VELEC/154530/2022.

संदर्भः– 1. सहायक यंत्री, (संचा / संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., उप संभाग, भीकनगांव का पत्र कमांक / 1032 / सं.य. / सं.स. / 20222–23 दिनांक 18.08.2022।

2. इस कार्यालय में पोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 29.08.2022।

––::––

संदर्भित पत्र कमांक–1 द्वारा 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला महेन्द्र फाल्या, दामखेड़ा में विद्युत लाईन के विस्तार का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त 0.65 हे. ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP /VELEC/154530/2022 की हार्ड कापी इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न आपकी ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक संस्थान के संबंधित किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा यदि आपसे सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो आप प्रस्तावित योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण करे तथा कक्षवार प्रभावित वनभूमि वन मानचित्र पैमाना 1:50000 पर अंकित कर मय प्रस्तावित वनभूमि पर खड़ी वनोपज की प्रजातिवार, कक्षवार गणना कर गणना एवं मूल्यांकन पत्रक तैयार कर निम्नानुसार प्रस्तुत करें:–

1. प्रस्तावित योजना के स्थल के दो फोटोग्राफ।
2. योजना से प्रभावित वनभूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण। (विगत वन्य प्राणी गणना अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या सहित प्रस्तुत करें।
4. एतिहासिक / पुरात्तव धरोहर न होने का प्रमाण –पत्र।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।
6. प्रस्तावित योजना के कियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप।
7. न्युनतम उपयोगिता प्रमाण–पत्र।

अतः उक्त प्रमाण पत्रों सहित प्रतिवेदन अपने सुस्पष्ट अभिमत सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–यथोपरी

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन
खरगोन, दिनांक - 20-12-22

पृ.क्र. / मा.चि. / 2022 / 9575

प्रतिलिपिः– सहायक यंत्री, (संचा / संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., उप संभाग, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि योजना से प्रभावित वनभूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराये जाने हेतु आपकी संस्थान के किसी अधिकारी / कर्मचारी को उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव से संपर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तावित योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल,खरगोन

Scanned with CamScanner